कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी, जिला–बस्तर (छ.ग.)

Email Id-gcbhanpuri@rediffmail.com Website-www.govtcollegebhanpuri.in

क्रमांक / 102 / स्था. / अ.व्या. / 2025, भानपुरी, दिनांक 26 / 07 / 2025,

//अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025, एवं छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–54 / स्था. / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20 / 06 / 2024 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में अध्यापन व्यवस्था **सत्र 2025–26** हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। **आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 06 / 08 / 2025 को सांय 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है।** निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रथंपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक /ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यून्तम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदन अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा:– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ अधिकारी एवं अतिथि गंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रिक्त पदों का विवरण:–

क्रं.	विषय का नाम	रिक्त पद	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	रसायन विज्ञान	01	–	01
2	वनस्पति विज्ञान	01	–	01
3	जन्तु विज्ञान	01	–	01
4	गणित	01	–	01
5	भौतिक विज्ञान	01	–	01

Scanned with OKEN Scanner

टीपः— संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एंव अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें:—

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण—पत्र, 10वी., 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर सेट/नेट एम. फिल/पी—एच.डी.अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक 06.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है,** प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। **ई—मेल से भेजे गये आवेदन मान्य नहीं होंगे।** वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है।
3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईड पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईड नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाईड में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईड में विस्तृत विवरण भी अपलोड़ किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 05 दिवस तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक—........................को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईड अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं जाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

टीपः— महाविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये विज्ञापन दिनांक 19/06/2025 के अंतर्गत आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः नये विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

Pratibha Tankar
26/7/25

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी
जिला—बस्तर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner